

संख्या 18/2019

सेक

उपनाम

बनाम

शम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
15.3.2022	<p>पत्रावली पेश दुर्ग क्वीट पार्थी अमुग  क्वीट पार्थी को विधिवत रूप से तीन  बार आवाजे लगाई गई परन्तु  उनकी तरफ से कोई उप नही  शैली स्थिति मे प्रकरण अदम हाजिरी  अदम पेशी मे खारिज किया जाना  उचित प्रतीत होता है। अतः क्वीट पार्थी  व उनकी तरफ से कोई भी उप  नही होने से प्रकरण अदम हाजिरी  अदम पेशी मे खारिज किया जाता है  पत्रावली फ़ैसल सुनार दोकर दखिल  दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b>  दफ्तर, सीताबाद</p>	